



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
स्पीड पोस्ट/ई-मेल



No- CHG/BST/LST-17/RPR

खान कोड- 38CHG01010

दिनांक :- 03/03/2022

प्रति, सर्वश्री नेहा स्टोन,
प्रोप. श्रीमति स्वाति गर्ग,
माकान नं - 118 एवं 119, सन सिटी,
लाल बाघ, पोस्ट - जगदलपुर,
जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ 494001
Email : anilgarg30@rediffmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी बडान्जी (Badanji) चूना पत्थर खान क्षेत्रफल - 1.62 है. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 06.12.2021 को अरुण कुमार गडतिआ, सहायक खनन अभियंता द्वारा Shri Mahesh Rao (Power of Attorney) के उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
45 (5) (c)	1. While scrutiny of the annual return 2020-21 , it is observed that reserve is same as 2019-20 & 2020-21 which needs to be corrected .

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम के अंतर्गत
(क) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिभीघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर के दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (By email)

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440 001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर